112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1196–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 146/अपील/2012–13.

गोवर्धनलाल पिता गणपतजी
निवासी कस्ता सांवेर जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–रामचन्द्र पिता गणपतजी
2–शिवनारायण पिता गणपतजी
3–छौगालाल पिता गणपतजी
4–कैलाश पिता गणपतजी
5–मदन पिता गणपतजी
निवासीगण बस स्टेण्ड के पास सांवेर जिला इंदौर
6–श्रीमती ताराबाई पिता गणपतजी
निवासी गणेश मार्ग भौरासा जिला देवास
7–श्रीमती अयोध्याबाई पिता गणपत
निवासी वार्ड नम्बर 6 नलखेडा जिला शाजापुर
8–श्रीमती जशोदाबाई पिता गणपत पति बद्रीलाल हारोड
निवासी संजय नगर नानाखेडा उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री के0के0कवंर, अभिभाषक, आवेदक
श्री राहुल राठौर, अभिभाषक, अनावेदक 1 लगायत 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा तहसीलदार सांवेर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष के स्वत्व व स्वामित्व की कस्बा सांवेर जिला इंदौर भूमि सर्वे कमांक 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525 व 526 कुल रकबा 3.162 हेक्टैयर स्थित है । अनावेदक कमाक 1 लगायत 5 प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कराना चाहते हैं, अतः बटवारा स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–27/11–12 दर्ज कर दिनांक 26–3–2012 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–9–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–2–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–9–11 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था तत्पश्चात् प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4–11–2011 को आवेदन पत्र पर जबाव हेतु दिनांक 5–11–11 की तिथि नियत की गई । उसके पश्चात् बिना आवेदन पत्र का निराकरण किये प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि पटवारी द्वारा जिस दिनांक 26–3–12 को फर्द बटवारा प्रस्तुत किया गया है उसे दिनांक को ही तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित कर दिया गया है । आवेदक को फर्द बटवारा पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं

दिया गया है और फर्द बटवारा पर आवेदक के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे में आवेदक को सड़क के पीछे की भूमि दी गई है जबकि अनावेदक को सडक से लगी हुई भूमि दी गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः बटवारे करने हेतु प्रत्यावर्तित करने का निवेदन किया गया ।

4/ प्रकरण दिनांक 21–11–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि गणपतजी व वारिस के सभी के नाम खसरे में चढ़े थे । बंटवारे में सभी को तहसील न्यायालय ने बराबर 1/9 हिस्सा दिया है । आवेदक के 1/6 हिस्से की मॉग जो उसने अधीनस्थ न्यायालयों में की थी वह अनुचित है । आवेदक के द्वारा उसकी अन्य तर्को के समर्थन में कोई प्रमाण देना नहीं पाया गया है इसलिये उन पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रतीत नहीं होता है ।

इस संबंध में 1982 आर.एन.36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा – 50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर